



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मिहसिद बनाम दुर्गासिद (कां२१)

किस्म मुकदमा पत्रावली 111-128 नं० 222 सन 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
10.22	<p>बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक <u>22.11.22</u> को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>22.11.22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शांति किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रोक रोक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, वगैरे विकेह एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रावण स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली दिया गया। पत्रावली फैसल शुमार लेकर कचकर से कम है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाड़ा</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या- 222/22 माण्डल

1- श्री मिहुसिंह 5/0 देवीलाल-चीहान (आराज प्रत) गिवासी- गुडा तहसील माण्डल (राज0)

-प्रार्थी

बनाम

श्री दुर्गासिंह 5/0 श्री कंजी सिंह-चीहान (आराज प्रत) गिवासी- गुडा तहसील माण्डल (राज0)
(सहसंक्रिण्ड 19/22 संक्र)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 22.11.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडा पटवार हल्का गंतोफपुरा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 47/1, 806/46, 809/48 कुल कित्ता 0.5 रकबा 0.3667 हेक्टर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के बीच आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की रगडी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.10.22 को पजीयद किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगडी कराने का कारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गुडा पटवार गंतोफपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 47/1, 806/46, 809/48, 803/48, 804/48 कित्ता 0.5 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख पक्षक मेला को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार कर पत्थरगडी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा